-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.02.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में बांदा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्तों की अवैध रुप से अर्जित लगभग 19 लाख रुपये की सम्पत्ति को किया गया कुर्क।**

विवरण- प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 21.02.2024 को बड़ी कार्यवाही की गई। दो अभियुक्तों 1. शकील अंसारी पुत्र जुम्मन अंसारी तथा 2. इंतजार कुरैशी पुत्र जिंदा हसन कुरैशी द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 19 लाख रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना कोतवाली देहात बांदा पर मु0अ0सं0 01/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष मटौंध श्री रामदिनेश तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा दिनांक 14.06.2023 को अभियुक्त शकील अंसारी पुत्र जुम्मन अंसारी तथा दिनांक 30.11.2023 को अभियुक्त इंतजार कुरैशी पुत्र जिंदा हसन कुरैशी कि अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 21.02.2024 को दोनों अभियुक्तों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 19 लाख रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान उपजिलाधिकारी सदर श्री रजत वर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री गवेन्द्र पाल गौतम, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री सुखराम सिंह तथा थानाध्यक्ष मटौंध श्री रामदिनेश तिवारी आदि उपस्थित रहे।

अभियुक्तों का विवरण -

1. शकील अंसारी पुत्र जुम्मन अंसारी नि0 हवेली दरवाजा को0 महोबा जनपद महोबा
2. इंतजार कुरैशी पुत्र जिंदा हसन कुरैशी नि0 कुर्सियाना थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शकील अंसारी पुत्र जुम्मन अंसारी की जब्त सम्पत्ति का विवरण-

- 01 स्कार्पियों नं0 UP95L9605 अनुमानित कीमत 07 लाख रुपये।

अभियुक्त इंतजार कुरैशी पुत्र जिंदा हसन कुरैशी की जब्त सम्पत्ति का विवरण-

- 01 ट्रक नं0 HR55W4070 अनुमानित कीमत 12 लाख रुपये

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शकील अंसारी पुत्र जुम्मन अंसारी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 01/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 247/22 धारा 395/397/412 भा0द0वि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इंतजार कुरैशी पुत्र जिंदा हसन कुरैशी उपरोक्त-

1. 1. मु0अ0सं0 01/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 247/22 धारा 395/397/412 भा0द0वि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

नोट- अभियुक्तों द्वारा दिनांक 13.08.2022 को महोखर से 27 नग भैंस/भैंसा, 02 अदद् कन्टेनर, एक स्कार्पियो व 01 आई-20 कार की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था।